

कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति खेरवाडा जिला-उदयपुर(राज0)

क्रमांक:पंसखे./लेखा/निविदा/2026-27/755

दिनांक:-18.05.2026


-: खुली निविदा सूचना :-

पंचायत समिति खेरवाडा के अधीन निम्न ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों के तहत जी0एस0टी0 में पंजीकृत/प्राधिकृत डीलर, राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मों का जो सम्बन्धित कार्य करते हो, से खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	अनुमानित लागत राशि	निविदा शुल्क	घरोहर राशि	निविदा आवेदन डाउनलोड करने की दिनांक	निविदा शुल्क धरोहर राशि निविदा फॉर्म (बंद लिफाफे में) जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BADLA	399674	रु. 500/- मात्र	7993	18/05/26	29/05/26	29/05/26
2	BHAKHRA	102253	रु. 500/- मात्र	2045	से	को दोपहर 12.00 बजे तक	को दोपहर 2.00 बजे
3	JHUNTHRI	543067	रु. 500/- मात्र	10861			
4	KHERWARA	3906338	रु. 1000/- मात्र	78127			
5	KATARWAS KALA	367390	रु. 500/- मात्र	7348			
6	MAGRA	107020	रु. 500/- मात्र	2140			
7	PARBEELA	114900	रु. 500/- मात्र	2298			
8	SAROLI	265867	रु. 500/- मात्र	5317			


शर्तें:-

- निविदा सूचना व शर्तें एवं पूर्ण विवरण जानकारी sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र शुल्क एवं अमानत राशि (अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत सरपंच ग्राम पंचायत संबंधित के नाम देय) मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर जमा करनी होगी।
- बोली प्रपत्र शुल्क राशि रु. 500/- सरपंच ग्राम पंचायत(संबन्धित) के नाम देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा करानी होगी।
- कृपया तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड दोनों को अलग-अलग लिफाफों में सील कर उन पर नं0 1 तकनीकी बिड, नं0 2 वित्तीय बिड अंकित करे उन पर निविदा का नाम एवं फर्म का नाम अंकित करे तत्पश्चात् दोनों लिफाफों को पुनः एक लिफाफे में सील कर उस पर भी निविदा का नाम एवं निविदादाता का पूर्ण पता अंकित कर पंचायत समिति खेरवाडा कार्यालय में नियत दिनांक व समय पर निविदा प्रस्तुत करें।
- प्राप्त निविदाएं ग्राम पंचायत मुख्यालय/पंचायत समिति अथवा उपापन संस्था द्वारा निर्देशित स्थान पर नियत तिथि व समय पर उपापन संस्था द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपापन संस्था एवं सक्षम प्राधिकारी का होगा।
- निविदा के साथ नवीनतम जीएसटी प्रमाण पत्र एवं पिछले माह की जी0एस0टी. रिटर्न तथा आयकर पेन कार्ड की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दर अनुसार आयकर एवं अन्य कटौतियां नियमानुसार की जायेगी।
- कार्यालय द्वारा वर्क ऑर्डर/स्वीकृति जारी किये जाने पर ही सफाई कार्य करवायी जायेगी।
- बिखरी आबादी क्षेत्र में आवश्यकता पडने पर ही सफाई कार्य करवायी जायेगी।
- सशर्त डाक व ईमेल से प्रेषित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- तकनीकी बिड की शर्तों में कार्य की अतिआवश्यकता और महत्वता को देखते हुए शिथिलता प्रदान करने का अधिकार उपापन संस्था के पास सुरक्षित रहेगा।
- शेष शर्तें निविदा प्रपत्र में अंकित अनुसार होगी।


विकास अधिकारी
पंचायत समिति खेरवाडा

सफाई टेण्डर हेतु विशिष्ट शर्तें :-

01. निविदादाता का साफ सफाई कार्य में न्यूनतम दो वर्षों का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
02. निविदादाता द्वारा साफ सफाई कार्य में श्रमिक नियोजित किये जाने हैं। अतः श्रम विभाग में फर्म का पंजीयन अनिवार्य होगा।
03. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (ई.पी.एफ.) एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (ई.एस. आई.) के अन्तर्गत पंजीयन अनिवार्य होगा।
04. फर्म द्वारा कचरा परिवहन हेतु लगाये गये वाहन की संख्या एवं प्रकार का विवरण तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
05. कार्य करने वाले श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा, मेडिकल किट एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। संस्था श्रमिकों की सुरक्षा एवं उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं रहेगी।
06. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा साफ सफाई कार्य हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना निविदादाता को अनिवार्य रूप से करनी होगी।
07. निविदा से संबंधित समस्त वांछित दस्तावेज तकनीकी बिड के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
08. स्वच्छता संबंधी गतिविधियों हेतु विकल्प "घर घर कचरा संग्रहण कर डंपिंग यार्ड तक पहुंचाना (सुखा एवं गीला अलग-अलग)- प्रतिदिन, कचरा पृथक्करण (Degradable & Non Degradable Waste)- प्रतिदिन, सडक की सफाई एवं झाड़ू- प्रति दो दिन में एक बार, नाली सफाई- माह में दो बार, सामुदायिक स्वच्छता परिसर कर सफाई प्रतिदिन करनी होगी। उक्त कार्य हेतु समस्त प्रकार के श्रमिक भी आप द्वारा ही उपलब्ध करवाये जायेंगे।
09. कचरा संग्रहण कार्य की अनुमोदित दरों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 (यथा संशोधित) के अनुसार सुरक्षित प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सम्मिलित है।
10. सामूहिक/सामाजिक/धार्मिक/शाही/मांगलिक आदि समारोह एवं हाट बाजार में उत्पन्न कचरे का निस्तारण करना होगा। सडक/सार्वजनिक स्थान परी पेडों के पत्तों, छोटे कंकड पत्थर आदि की सफाई कार्य करना होगा। बडे पत्थर का मलबा आदि का निस्तारण संबंधित द्वारा अलग से किया जायेगा।
11. कचरा एकत्रित कर कचरा निपटान परिसर में डिस्पोज किया जावेगा। कचरा एकत्रित कर जलाया नहीं जावेगा अन्यथा जुर्माना वसुली एवं वायु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
12. अन्य निविदा शर्तें यथावत रहेगी।


विभिन्न अधिकारी
पंचायत समिति खेस्वाडा